

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक:

योगेश्वर धारी सिंह,  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 24/8/2016

विषय:- नून नदी का सर्वेक्षण कार्य प्राक्कलित राशि रु० 3.94 लाख (तीन लाख चौरानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति ।


आदेश:-स्वीकृत।

- 2- इस कार्य पर होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित शीर्ष/उपशीर्ष के अन्तर्गत होगा:-  
मुख्य शीर्ष- 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण अन्य व्यय-मांग सं0-49, उपशीर्ष-0101,सर्वेक्षण एवं खोज (स्थापना) विषय शीर्ष- 53 01 राज्य योजना स्कीम कोड WAT-5190 वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इस मद में रु० 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) का बजट उपबंध है, जिससे रु० 3.94 लाख (तीन लाख चौरानवे हजार तीन सौ रुपये) मात्र का व्यय नून नदी के सर्वेक्षण कार्य के लिए किया जाएगा।
- 3- इस योजना का विपत्र कोड P 4700800050101 है।
- 4- स्वीकृत राशि का व्यय जल संसाधन विभाग के लिए निर्धारित बजट उपबंध के अधीन किया जाएगा।
- 5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, दरभंगा होंगे।
- 6- इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, मुजफ्फरपुर होंगे।
- 7- इस राशि की निकासी कोषागार, दरभंगा से की जाएगी, जिसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- 8- इस प्रस्ताव पर संचिका संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/923/2013 पार्ट-1 के पृ० 29/टि० पर दिनांक 23/08/2016 को सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
- 9- स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर संचिका संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/923/2013 पार्ट-1 के पृ० 24./टि० पर दिनांक 02/08/2016 आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग की सहमति प्राप्त है।
- 10- इस कार्य का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

24/8/16  
24/8/16


- 11- सर्ववृत्त्यादेश इस शर्त के साथ दी जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 का अनुपालन किया जाएगा।
- 12- उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार को भेजते हुये उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

  
 (योगेश्वर धारी सिंह)  
 संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

जापांक- 208


पटना, दिनांक 24/8/2016

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।  
  
 24.08.16  
 (योगेश्वर धारी सिंह)  
 संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

जापांक- 208

पटना, दिनांक 24/8/2016

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/ बजट पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख, मुख्यालय सिंचाई सृजन/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन, पटना एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 24.08.16  
 (योगेश्वर धारी सिंह)  
 संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।